न्यायालय सत्र न्यायाधीश, इटावा

पीठासीन अधिकारी–रजत सिंह जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ०आई०डी० – यू पी 6519

UPEW010041092022

1. सत्र परीक्षण सं०–1411 सन 2022

उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा श्री शिवकुमार शुक्ला, जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)

प्रति

उमेश यादव पुत्र धीरी सिंह
निवासी–ग्राम नगला बरी थाना वैदपुरा
जनपद इटावा
अधिवक्ता श्री गौरव तिवारी

मु०अ०सं०–11 सन 2020
धारा–307 भा०दं०संहिता
थाना –वैदपुरा , जनपद इटावा।

अपराध की तिथि	08.02.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	09.02.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	06.06.2020
कमिटल की तिथि	28.06.2022
आरोप विरचित होने की तिथि	01.08.2022
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	02.01.2023
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	08.07.2026
निर्णय की तिथि	15.07.2026
दण्डादेश की तिथि यदि हो	–

UPEW010041102022

Digitally signed by RAJAT SINGH JAIN
Date: 2026.07.15 17:00:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. सत्र परीक्षण सं०–1412 सन 2022

उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा श्री शिवकुमार शुक्ला, जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)
प्रति
उमेश यादव पुत्र धीरी सिंह
निवासी–ग्राम नगला बरी थाना वैदपुरा
जनपद इटावा
अधिवक्ता श्री गौरव तिवारी

मु०अ०सं०–12 सन 2020
धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना –वैदपुरा, जनपद इटावा।

अपराध की तिथि	09.02.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	09.02.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	06.06.2020
कमिटल की तिथि	28.06.2022
आरोप विरचित होने की तिथि	01.08.2022
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	02.01.2023
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	08.07.2026
निर्णय की तिथि	15.07.2026
दण्डादेश की तिथि यदि हो	–

निर्णय

1. थाना वैदपुरा, जनपद इटावा द्वारा मु०अ०सं०–11 सन 2020 में अभियुक्त उमेश यादव के विरुद्ध धारा–307 भा०दं०संहिता के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया। उक्त आरोपपत्र पर तत्कालीन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–1, इटावा द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अपराध सत्र परीक्षणीय होने के कारण विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–1, इटावा द्वारा उक्त वाद को आदेश दि०–28.06.2022 के द्वारा विचारण हेतु सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया। थाना वैदपुरा, जनपद इटावा द्वारा ही अ०सं०–12 सन 2020 में अभियुक्त उमेश यादव के विरुद्ध धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत भी आरोपपत्र प्रेषित किया गया। उक्त

आरोपपत्र पर तत्कालीन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–1, इटावा द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। धारा–307 भा०दं०संहिता का अपराध सत्र परीक्षणीय होने के कारण एवं धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम का अपराध, उससे सम्बंधित होने के कारण दोनों वादों को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०–3, इटावा द्वारा पारति आदेश दि0–28.06.2022 के द्वारा विचारण हेतु सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया। मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दि०–02.01.2023 के द्वारा उक्त दोनों मामलों को एकीकृत किया गया तथा सत्र परीक्षण सं०–1411/2022 उ०प्र०राज्य बनाम उमेश यादव को प्रमुख वाद बनाया गया।

2. संक्षेप में इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी नीतेश कुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम भीखमपुर पुठिया थाना जसवंतनगर जिला इटावा थाना वैदपुरा जनपद इटावा पर तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनांक–08.02.2020 को वह अपने पिता श्री श्याम सिंह पुत्र जगराम सिंह के साथ अपने मौसा श्री राममहेश पुत्र श्री कामता प्रसाद निवासी ग्राम हवेली थाना करहल जिला मैनपुरी की पुत्री कु०शशी उर्फ बबली के तिलकोत्सव समारोह में ग्राम रेउजा में रवि कुमार पुत्र स्व० रामविलास के घर आये हुये थे। जैसे ही तिलक समारोह समय करीब 10.30 बजे रात्रि में शुरू हुआ, तभी वहां पर मौजूद उमेश पुत्र धीरी सिंह निवासी ग्राम नगला बरी थाना वैदपुरा जिला इटावा ने अपने हाथ में लिये तमंचे से हर्ष फायर किया, जिसकी गोली उसके पिताजी के पुट्ठे पर जाकर लगी, जिससे उसके पिताजी घायल हो गये। उसके पिताजी का इलाज सैफई पी०जी०आई० में चल रहा है। उसके पिताजी के गोली लगते ही उमेश यादव उपरोक्त वहां से भाग गया था। इस घटना को वहां पर मौजूद श्री प्रेमकिशोर पुत्र शारदा प्रसाद निवासी ग्राम नगला केशों थाना जसवंतनगर जिला इटावा आदि अन्य मौजूद कई रिश्तेदारों ने देखा है ।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के आधार पर दि०–09.02.2020 को 11.18 बजे थाना वैदपुरा, जनपद इटावा पर मु०अ०सं०–11 सन 2020, अन्तर्गत धारा–307 भा०दं०संहिता अभियुक्त उमेश यादव के विरूद्ध प्रकरण पंजीकृत हुआ तथा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 तैयार की गयी तथा मुकदमा कायमी की प्रविष्टि सामान्य दैनिकी में की गयी, जिसकी प्रति प्रदर्श क–4 है।

4. दिनांक–09.02.2020 को 12.15 बजे डा०भीमराव अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय (पुरुष), इटावा पर घायल श्याम सिंह का चिकित्सकीय परीक्षण हुआ तथा चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–2 तैयार की गयी। दि०– 10.02.2020 को विवेचक द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 तैयार

किया गया।

5. दिनांक–09.02.2020 को उपनिरीक्षक रामवीर सिंह अपने सहकर्मीगण के साथ अभियुक्त उमेश यादव को गिरफ्तार करने के उपरांत, उससे पूछतांछ के पश्चातत मु०अ०सं० 11/2020 धारा–307 भा०दं०संहिता में प्रयुक्त शस्त्र की बरामदगी हेतु अभियुक्त उमेश यादव के साथ थाना से वहवाले रपट नं०–22 समय 12.45 बजे प्रस्थान करके अभियुक्त के बताये गये स्थान ग्राम नगला बनी तथा नगला रेऊजा के बीच स्थिति गन्दा नाला के पुल पर आये, तभी अभियुक्त ने गाड़ी रोकने को कहा तथा बताया कि इसी पुल के पश्चिमी किनारे पर स्थित झाड़ीयुक्त गड्ढा में उसने घटना में प्रयुक्त तमंचा खोखा कारतूस निकालकर, खोखा तमंचा इसी झाड़ी में फेंक दिया था। तत्पश्चात पुलिस कर्मीगण गाड़ी से उतरकर पुल के पश्चिमी किनारे के पास स्थित झाड़ी गड्ढे के पास आये, तब अभियुक्त ने गड्ढे में उतरकर, झाड़ी हटाकर नीचे से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर निकालकर दिया। तमंचे का हुलिया फर्द बरामदगी में उल्लिखित है। वहीं पर अभियुक्त द्वारा खोखा कारतूस को भी तलाश किया गया एवं पुलिस दल द्वारा भी खोखा तलाश किया गया, परन्तु खोखा कारतूस मिल नहीं सका। अभियुक्त ने बताया कि इसी तमंचे से उसने कल रात्रि ग्राम रेउजा में हो रहे तिलक समारोह में हर्ष फायर किया था, जिसकी गोली एक व्यक्ति के कूल्हे पर लग गयी थी। मौके पर फर्द बरामदगी प्रदर्श क–13 तैयार की गयी ।

6. उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक–09.02.2020 को 14.14 बजे थाना वैदपुरा जनपद इटावा पर मु०अ०सं०–12/2020 अन्तर्गत धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम, अभियुक्त उमेश यादव के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत हुआ तथा चिक प्राथमिकी प्रदर्श क–5 तैयार की गयी व मुकदमा कायमी की प्रविष्टि जी०डी० में की गयी, जिसकी प्रति प्रदर्श क–6 है। उक्त मामले में विवेचक द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 तैयार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने की स्वीकृति प्रदर्श क–11 प्राप्त की गयी।

7. मु०अ०सं० 11/2020 में विवेचना के उपरांत अभियुक्त उमेश यादव के विरुद्ध धारा–307 भा०दं०संहिता आरोपपत्र प्रदर्श क–8 व धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रदर्श क–12 प्रेषित किये गये।

8. मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दि०–02.11.2021 को अभियुक्त उमेश यादव के विरुद्ध धारा–307 भा०दं०संहिता का आरोप विरचित किया गया। दि०–02.11.2021 को ही अभियुक्त उमेश यादव के विरूद्ध धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम का

आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोपों से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की माँग की।

9. मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दि०–02.01.2023 के द्वारा उक्त दोनों मामलों को एकीकृत किया गया तथा सत्र परीक्षण सं०–1411/2022 उ०प्र०राज्य बनाम उमेश यादव को प्रमुख वाद बनाया गया।

10. अभियोजनपक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू०–1 वादी नीतेश कुमार, पी०डब्लू०–2 प्रेम किशोर, पी०डब्लू०–3 अनिल कुमार, पी०डब्लू०–4 घायल श्याम सिंह, पी०डब्लू०–5 डा०अमित शाक्य , पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक मांजीत प्रसाद, पी०डब्लू०–7 उपनिरीक्षक कामता प्रसाद गौतम एवं पी०डब्लू–8 उपनिरीक्षक रामवीर को परीक्षित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण की सूची निर्णय के अन्त में संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श एवं वस्तु प्रदर्श साबित किये गये हैं, उन्हें निर्णय के अन्त में क्रमशः संलग्नक–2 व 3 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

12. पी०डब्लू०–1 नीलेश कुमार इस मामले का वादी है । इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि दि०–08.02.2020 को वह अपने पिता श्री श्याम सिंह के साथ अपनी मौसी की लड़की की शादी का तिलक चढ़ाने ग्राम रैउजा गया था। उसकी मौसी ग्राम हवेली थाना करहल जिला मैनपुरी की रहने वाली हैं। उनकी पुत्री शशी उर्फ बबली की शादी रउजा निवासी रवी कुमार पुत्र स्व०राम विलास के यहां तय हुई थी। उसी का तिलक था । रात्रि 10.30 बजे का समय था। उस कार्यक्रम में उमेश यादव हर्ष फायर कर रहे थे। उनके हाथ में देशी तमंचा था। उनकी फायर से उसके पिताजी के पुट्ठे (hip) में गोली आकर लगी थी, जिससे उसके पिताजी घायल हो गये थे। फायर करने के बाद अभियुक्त आप मौके से भाग गये थे। उसके पिताजी का इलाज सैफई अस्पताल में चला था। पहले वह अपने पिताजी को घायल अवस्था में लेकर थाना गया था, वहां से जिला अस्पताल, इटावा गया था, फिर सैफई अस्पताल गया था। दूसरे दिन उसने घटना की रिपोर्ट लिखकर थाना जाकर दीवानजी को दी थी। गवाह ने पत्रावली में संलग्न तहरीर कागज सं०–3क पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुये उसे प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। उसका यह भी कहना है कि उसने विवेचक को बयान दिया था। इस घटना को उसके अलावा प्रेम किशोर व राममहेश आदि ने देखा था।

13. पी०डब्लू०–2 प्रेम किशोर ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि

दि०–08.02.2020 को रात्रि 10.30 बजे उसके बहनोई राममहेश की पुत्री शशि उर्फ बबली का तिलक चढ़ाने रवी कुमार भी आये थे। उसी समय उमेश पुत्र धीरी सिंह ने तमंचा से हर्ष फायर किया। उस हर्ष फायर की गोली श्याम सिंह के पुट्ठे में लगी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गये। तुरन्त श्याम सिंह को उनका पुत्र व अन्य लोग इलाज के लिये इटावा अस्पताल ले गये। यह घटना उसने अपनी आंखों से देखी है व विवेचक को बयान दिया है ।

14. पी०डब्लू०–3 अनिल कुमार ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है दि0–08.02.2020 को उसके भाई रवी का तिलक प्रोग्राम था। उस दिन समय रात्रि 10.30 बजे उसके भाई के प्रोग्राम में कोई हर्ष फायरिंग नहीं हुई थी और न ही उसके भाई के प्रोग्राम में उमेश शामिल हुआ था। मजरूब श्याम सिंह के कैसे और कहॉ उनके पुट्ठे पर गोली लगी, उसके विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने मजरूब श्याम सिंह को अपने घर के प्रोग्राम में अपने घर पर नहीं देखा था। अभियुक्त उमेश को आज वह पहली बार न्यायालय में देख रहा है। उक्त दिनांक व समय पर अपने घर आये अतिथियों का आदर सत्कार कर रहा था तथा प्रोग्राम में व्यस्त था। उसने गोली चलाते उमेश यादव को नहीं देखा था ।

15. पी०डब्लू०–4 श्याम सिंह ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि दि०–08.02.2020 को समय करीब 10.30 बजे रात्रि वह ग्राम रेउआ में रवि कुमार के घर तिलकोत्सव के कार्यक्रम में गया था, वहां उमेश ने उसे जान से मारने की नीयत से गोली चलायी, लेकिन वह घूम गया, जो उसके पुट्ठे में लगी। इसकी रिपोर्ट उसके पुत्र नीतेश ने की थी। उसका इलाज सरकारी अस्पताल, इटावा में हुआ तथा चोट अधिक होने के कारण उसे सैफई रिफर किया गया था। जिस तमंचे से उसे गोली मारी थी, वह पुलिस ने उमेश यादव से बरामद किया था। सैफई में आपरेशन के बाद फायर आर्म्स की चोट का आपरेशन कर गोली निकाली गयी थी। उसने घटना के सम्बंध में पुलिस के कई अफसरों को बयान दिया था ।

16. पी०डब्लू०–5 डा०अमित शाक्य ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि वह दिनांक–09.02.2020 को जिला अस्पताल मोतीझील, इटावा में ई०एम० ओ० के पद पर तैनात था। उस दिन मजरूब श्याम सिंह उम्र 54 वर्ष को कां० रिंकू चौधरी व देवेन्द्र सिंह उसके पास डाक्टरी परीक्षण कराने के लिये लेकर आये थे। मजरूब की पहचान का चिन्ह अंकित कर उसकी चोटों का परीक्षण किया। यह मुआयना उसने रात 12.15 बजे शुरू किया था और 12.20 बजे पर समाप्त किया था ।

16.1 गोली घुसने का घाव 1 x 0.5 सेमी सीधे नितम्ब(पुट्ठे) में पीछे की तरफ

बीचोंबीच मौजूद था, जिसके किनारे अन्दर की तरफ धंसे हुए थे और ताजा खून बह रहा था। चोट को निगरानी में रखा गया था और एक्सरे की सलाह दी गयी थी। उसने उक्त घायल की चिकित्सीय परीक्षण आख्या कागज सं०–9 को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है। उसकी राय में मजरूब की उपरोक्त चोट दि0–08.02.2020 को रात्रि 10.30 बजे तमंचे से या किसी आग्नेयास्त्र से आना सम्भव है ।

17. पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक मांजीत प्रसाद ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि वह दिनांक 09.02.2020 को थाना वैदपुरा में है०कां० के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा नीतेश कुमार की तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम कर चिक किता की थी। पत्रावली में संलग्न चिक कागज संख्या–4 क/1 लगायत 4 क/2 को देखकर कहा कि यह उसने कम्प्यूटर पर है०कां० वीरेन्द्र यादव से बोल–बोलकर टाइप करायी थी, जिस पर थानाध्यक्ष सतीश चन्द्र यादव के हस्ताक्षर हैं। इस मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर उपनिरीक्षक कामता प्रसाद को दी गयी थी। गवाह ने उक्त कि को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। उसका यह भी कहना है कि इस चिक की प्रविष्टि उसने उसी दिन जी०डी० नं०–17 समय 11.28 दिन में की थी। पत्रावली में शामिल चिक कागज सं०–4 क/3 को उसने प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है।

17.1 साक्षी का यह भी कथन है कि उसी दिन अ०सं०–12/2020 धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिसमें एक अदद तमंचा 315 बोर की फर्द दाखिल की गयी थी, जिसके आधार पर उसने मुकदमा पंजीकृत किया था। गवाह ने सत्र वाद सं0–1412/2022 में शामिल उक्त चिक कागज सं०–4 क/1 लगायत 4 क/2 के सम्बंध में कहा कि यह उसने कम्प्यूटर पर है०कां० वीरेन्द्र यादव से बोल–बोलकर टाइप करायी थी, जिस पर थानाध्यक्ष सतीश चन्द्र यादव के हस्ताक्षर हैं। इस मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर उपनिरीक्षक कामता प्रसाद को दी गयी थी। गवाह ने उक्त चिक को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है तथा उसका यह भी कथन है कि इस चिक की प्रविष्टि उसने उसी दिन जी०डी० नं0–23 पर समय 14.14 बजे दिन में की थी । गवाह ने उक्त जी०डी० की प्रति को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है।

17.2 पी०डब्लू०–7 उपनिरीक्षक कामता प्रसाद गौतम ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि वह दि०–09.02.2020 को थाना वैदपुरा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन उसे अ०सं०–11/2020 की विवेचना प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण कर उसने नकल चिक, नकल रपट, अभियुक्त उमेश पुत्र

धीर सिंह को थाने पूछतांछ के लिये लाया और मजरूब श्याम सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहॉ से उसे सैफई कूल्हे में गोली लगे होने के कारण रेफर किया गया। उपनिरीक्षक रामवीर ने अभियुक्त उमेश से पूछताछ की, तो उसने घटना कारित किये जाने का अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसने रास्ते में ग्राम नगला वरी के पास नाले के पुल के पास पुलिस की गाड़ी देखकर तमंचा वहीं पर खोखा निकालकर फेंक दिया था, वह चलकर बरामद करा सकता है तथा उसी दिन उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एच०एम० मंजीत प्रसाद का बयान लिखा और अभियुक्त को न्यायालय पेश किया। दिनांक–10.02.2020 को वादी नीतीश कुमार का बयान लिया और उसी दिन गवाह प्रेमशंकर एफ०आई०आर० लेख का बयान लिया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया व नक्शा नजरी तैयार किया। गवाह ने पत्रावली में शामिल नक्शा नजरी कागज सं०–7क को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है।

17.3 गवाह का यह भी कथन है कि दि0–20.02.2020 को न्यायालय से अभियुक्त का रिमाण्ड कराया और दि०–14.05.2020 को मजरूब का मेडीकल व सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त कर कस डायरी में उल्लेख किया। दिनांक–15.05.2020 को गवाह रवि, अनिल, सुनीता, रमेश चन्द्र व रामसेवक का बयान लिया। दिनांक–17.05.2020 को डा०अमित शाक्य का बयान लिया तथा उसी दिन मजरूब श्याम सिंह का बयान लिया और उसी दिन विवेचना समाप्त कर सम्पूर्ण अपराध से सहमत होते हुये धारा–307 भा०दं०संहिता में अभियुक्त उमेश यादव के विरुद्ध आरोपपत्र टाइप कराकर न्यायालय में प्रेषित किया था। गवाह ने पत्रावली में शामिल आरोपपत्र कागज सं०–3क/1 व 3क/2 को प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है।

17.4 इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में यह भी कथन किया है कि दि०–09.02.2020 को उसे अ०सं०–12/2020 की विवेचना प्राप्त हुई थी। उसने विवेचना के दौरान अभियुक्त से पूछतांछ की थी, जिसका उल्लेख उसने जी०डी० में किया था। गवाह ने उससे सम्बंधित जी०डी० कागज सं०–6क/4 को प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है। उसका यह भी कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है०कां० मांजीत सिंह का बयान लिया था और अभियुक्त का बयान लेकर न्यायालय प्रस्तुत कर जेल दाखिल किया था । दिनांक 02.03.2020 को वादी उपनिरीक्षक रामवीर सिंह एवं फर्द के गवाह सन्तोष कुमार का बयान लिया था तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया था। गवाह ने पत्रावली में शामिल नक्शा नजरी कागज सं0–7क को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया है। उसका यह भी कहना है कि दि०–23.03.2020 को अभियुक्त से बरामद माल को लेकर वह

जिला मजिस्ट्रेट, इटावा के समक्ष आया था और वहॉ से मुकदमा चलाये जाने की मंजूरी प्राप्त कर केस डायरी में शामिल की थी। पत्रावली में शामिल अभियोजन स्वीकृति कागज सं0–8 क को देखकर कहा कि यह वही है, जो उस समय के जिलाधिकारी ने हस्ताक्षर करके दिया था तथा नगर मजिस्ट्रेट ने भी हस्ताक्षर किये थे, जिसे उसने प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया है। उसका यह भी कहना है कि विवेचना से सन्तुष्ट होकर उसके द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया था। उसने आरोपपत्र कागज सं०–3 क/1 लगायत 3 क/2 को **प्रदर्श क–12** के रूप में साबित किया है।

18. पी०डब्लू०–8 उपनिरीक्षक रामवीर ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि वह दिनांक 09.02.2020 को थाना वैदपुरा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन वह मय हमरारी कां०संतोष कुमार मय सरकारी गाड़ी बुलरो यू०पी० 75 जी 0279 मय चालक शिशुपाल सिंह के साथ पूछताछ अभियुक्त उमेश यादव के बउम्मीद बरामदगी तमंचा देशी 315 बोर सम्बंधित मु०अ०सं०–11/2020 अन्तर्गत धारा–307 भा०दं०संहिता बनाम उमेश यादव उपरोक्त के थाना हाजा से बहवाले रपट नं0–22 समय 12.45 बजे रवाना होकर अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान गन्दा नाला पुल के पास आये। अभियुक्त ने इसी पुल के पश्चिमी किनारे पर स्थित झाड़ीयुक्त गड्डे में घटना में प्रयुक्त तमंचा इसी झाड़ी में फेंक दिया था। अभियुक्त ने उतरकर झाड़ी हटाकर एक अदद तमंचा 315 बोर निकालकर दिया। तमंचा चालू हालत में था। वहीं पर अभियुक्त द्वारा खोखा कारतूस को भी तलाश किया, लेकिन नहीं मिल सका। अभियुक्त ने बताया कि इसी तमंचे से उसने कल रात को ग्राम रेउजा में हो रहे तिलक में हर्ष फायर किया था, जिसकी गोली एक व्यक्ति के कूल्हे में लग गयी थी और अपने कृत्य की क्षमा मांगने लगा। न्यायालय के आदेश से बरामद तमंचा न्यायालय में खोला गया। सील सर्व कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–1 व तमंचे पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। तमंचा चालू हालत में है। अभियुक्त के द्वारा किये गये कृत्य को उसके जुर्म से भलीभांति अवगत कराते हुये नियमानुसार हिरासत पुलिस समय करीब 13.15 बजे लिया था। फर्द को उसके द्वारा तैयार कर, पढ़कर सुनाकर गवाहान व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये थे । उसके द्वारा तैयार की गयी फर्द जो कागज सं०–5 क है, को उसने प्रदर्श क–13 के रुप में साबित किया है ।

19. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०संहिता लेखबद्ध किया गया, तो उसने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुये प्रधानी की रंजिश के कारण मुकदमा चलना बताया तथा उसने यह भी कथन किया है कि उससे फर्जी रूप से तमंचा व कारतूस की बरामदगी दर्शायी गयी है ।

20. अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में डी०डब्लू०–1 रमेश चन्द्र एवं डी०डब्लू०–2 राघवेन्द्र उर्फ रवि को परीक्षित कराया गया है।

21. श्री शिव कुमार शुक्ला, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव तिवारी के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

22. इस मामले में निम्न अवधार्य प्रश्न उत्पन्न होते हैंः–

1. क्या दिनांक–08.02.2020 को समय लगभग 10.30 बजे रात्रि में अभियुक्त उमेश यादव पुत्र धीरी सिंह के द्वारा जान से मारने के उद्देश्य से श्याम सिंह पुत्र जगतराम को ग्राम रेउजा अन्तर्गत थाना वैदपुरा जिला इटावा में गोली मारकर घायल किया गया?

2. क्या दिनांक 09.02.2020 को समय 12.45 बजे के उपरांत अभियुक्त उमेश यादव की निशानदेही पर ग्राम नगला बरी तथा नगला रेउजा के बीच स्थित गंदा नाला के पुल के पश्चिमी किनारे स्थित झाड़ीयुक्त गड्ढा से एक तमंचा बरामद हुआ, जिसको रखने की अनुज्ञप्ति अभियुक्त उमेश यादव के पास नहीं थी और क्या उसी तमंचे का प्रयोग घटना कारित करने में किया गया ।

निष्कर्ष

23. **निस्तारण अवधार्य प्रश्न सं०–1 क्या दिनांक–08.02.2020 को समय लगभग 10.30 बजे रात्रि में अभियुक्त उमेश यादव पुत्र धीरी सिंह के द्वारा जान से मारने के उद्देश्य से श्याम सिंह पुत्र जगतराम को ग्राम रेउजा अन्तर्गत थाना वैदपुरा जिला इटावा में गोली मारकर घायल किया गया?**

24. **प्रथम सूचना रिपोर्ट**

सर्वप्रथम इस मामले में यह देखा जाना है कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है ।

25. वादी नीतेश कुमार पी०डब्लू०–1 के अनुसार घटना लगभग 10.30 बजे दि०–08.02.2020 की है और घटना के उपरांत वह अपने पिता को घायल अवस्था में लेकर थाना गया था और फिर वहां से जिला अस्पताल लेकर गया और उसके बाद सैफई अस्पताल गया था और दूसरे दिन उसने घटना की रिपोर्ट लिखकर थाना पर मौजूद दीवानजी को दी थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि जैसे ही उसके पिता को गोली लगी, वैसे ही वह अपने पिताजी को लेकर थाना गया था और घटना के 30–40 मिनट बाद थाना पहुंच गया था। थाना पर लगभग 10 मिनट रुका था और उसके बाद अस्पताल आ गया था। सदर अस्पताल से उसके पिता को

सैफई रिफर कर दिया गया था। तहरीर घटना वाली रात को थाना पर न देने की वह कोई वजह नहीं बता सकता, क्योंकि उस वक्त तक उसे अभियुक्त के नाम की जानकारी नहीं थी। जब उसे नाम की जानकारी हुई थी, तब उसने थाने पर तहरीर दी थी ।

26. श्याम सिंह पी०डब्लू०–4 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त उमेश यादव को पहले से नहीं जानता था।

27. उपनिरीक्षक मांजीत प्रसाद पी०डब्लू०–6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 09.02.2020 को वादी मुकदमा नीतेश कुमार की तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम करने का कथन किया है और यह भी कहा है कि मुकदमा कायमी उसी दिन समय 11.28 बजे दिन में की गयी थी ।

28. चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम रेउजा से थाना की दूरी लगभग 06 कि०मी० है। वादी मुकदमा के अनुसार घटना के लगभग 30–40 मिनट बाद वे लोग थाना पहुंचे थे। नीतेश कुमार पी०डब्लू०–1 के परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ कि वह किस वाहन से घायल श्याम सिंह को थाना वैदपुरा लेकर गया था। किन्तु श्याम सिंह पी०डब्लू०–4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि अस्पताल से वह मोटर साइकिल से गया था। उसे सहयोग से मोटर साइकिल पर बैठाया गया था। मोटर साइकिल पर उसे कोई व्यक्ति पकड़कर बैठा था। इस साक्षी ने भी न तो अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि वह किस वाहन से थाना गया था और न ही प्रतिपरीक्षा में उससे यह प्रश्न पूछा गया है ।

29. न्यायालय के मत में ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यह देखा जाना आवश्यक होता है कि घटनास्थल से थाना वैदपुरा की 06 किलोमीटर की दूरी का रास्ता किस प्रकार का है। अर्थात कच्चा अथवा पक्का है अथवा टूटा–फूटा है । यदि यह मान भी लिया जाये कि मोटर साइकिल से घायल श्याम सिंह को थाना ले जाया गया होगा, तो मोटर साइकिल की व्यवस्था करने व श्याम सिंह को उस पर बैठाने और फिर इस प्रकार सावधानीपूर्वक मोटर साइकिल चलाने कि श्याम सिंह की पीड़ा और न बढ़े, यह हो सकता है कि घटनास्थल से थाना तक पहुंचने में कुल मिलाकर 30–40 मिनट का समय लग गया हो ।

30. घायल के थाने जाने की पुष्टि उपहति आख्या प्रदर्श क–2 से भी होती है, जिसके अनुसार घायल को पुलिस आरक्षी 1308 रिंकू चौधरी एवं पुलिस आरक्षी 1404 देवेन्द्र सिंह जिला अस्पताल लेकर गये थे। इस सम्बंध में चिकित्सक डा0 अमित शाक्य ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि घायल को उसके द्वारा

होशहवाश में सैफई (अस्पताल) रिफर किया गया था ।

31. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा नीतेश कुमार व घायल श्याम सिंह के परिवार वालों की प्राथमिकता घायल श्याम सिंह की चिकित्सकीय परिचर्या कराने की रही होगी और स्वाभाविक रूप से उसे अस्पताल ले जाकर और वहॉ भर्ती होने के उपरांत उसकी स्थिति स्थिर होने तक उसके परिवार वाले वहां से नहीं चले होंगे।

32. इसके अतिरिक्त नीतेश कुमार पी०डब्लू०–1 ने ईमानदारी से यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तब करायी गयी, जब उसे अभियुक्त के नाम का ज्ञान हुआ। सामान्यतः तिलकोत्सव के कार्यक्रम में वर पक्ष के लोग होते हैं और कुछ बधू पक्ष के लोग होते हैं और तिलकोत्सव सामान्यतः वर पक्ष के स्थान पर सम्पादित किया जाता है। वर पक्ष के लोग अपने मिलने वालों को अतिथिगण के रूप में आमंत्रित करते हैं। अभियुक्त उमेश यादव निश्चित रूप से बधू पक्ष की ओर से तिलक चढ़ाने गये हुये व्यक्तियों में सम्मिलित नहीं था, अतः दो संभावनायें बनती हैं कि या तो वह वर पक्ष का अतिथि था अथवा गैर आमंत्रित अतिथि के रूप में स्वमेव ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो गया था। यह स्वाभाविक है कि जब अभियुक्त का नाम व पता पहले से वादी पक्ष को ज्ञात नहीं था, तो उन्होंने इस सम्बंध में जानकारी करने का प्रयास किया होगा कि गोली चलाने वाले व्यक्ति का नाम व पता क्या है और उसके उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी। नीतेश कुमार पी०डब्लू०–4 व श्याम सिंह पी०डब्लू०–4 के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले से अभियुक्त की कोई रंजिश वादी पक्ष से नहीं थी, अतः उसको झूठा फंसाने के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब किया जाना सम्भव नहीं है ।

33. चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का निवास स्थान ग्राम नगला रेउजा लिख देना मांजीत प्रसाद पी०डब्लू०–6 की त्रुटि है अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर में अभियुक्त को ग्राम नगला बरी का निवासी होना दर्शाया गया है ।

34. इस प्रकार प्रथम तो घायल श्याम सिंह पी०डब्लू०–4 के चिकित्सीय परिचर्या में व्यस्त होने के कारण और द्वतीय अभियुक्त के नाम को ज्ञात करने में हुये विलम्ब के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 13 घंटे का विलम्ब है, किन्तु यह विलम्ब उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में स्वाभाविक है और अभियोजन के लिये घातक नहीं होता है ।

<u>घटनास्थल</u>

35. वादी पक्ष के अनुसार घटनास्थल रवि कुमार का घर स्थित ग्राम नगला रेउजा अन्तर्गत थाना वैदपुरा था। इस सम्बंध में नीतेश कुमार पी०डब्लू०–1, प्रेम

किशोर पी०डब्लू०–2 व श्याम सिंह पी०डब्लू०–4 के द्वारा सकारात्मक कथन किये गये हैं। रवि कुमार, जिसके तिलक का कार्यक्रम था, उसका सगा भाई अनिल कुमार पी०डब्लू०–3 के रूप में परीक्षित हुआ है और उसने भी यह बताया है कि दि0–08.02.2020 को उसके भाई रवि के तिलक का कार्यक्रम था और वह अपने घर आये अतिथियों का आदर–सत्कार कर रहा था। रवि, जिसका तिलक कार्यक्रम था, वह स्वयं डी०डब्लू०–2 के रूप में परीक्षित हुआ है और उसने भी यह पुष्टि की है कि दि0–08.02.2020 को उसके घर पर उसके गांव में उसकी लगुन का कार्यक्रम था। घटनास्थल को अभियुक्त की ओर से विवादित नहीं किया गया है।

36. विवेचक उपनिरीक्षक कामता प्रसाद पी०डब्लू०–7 ने घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 बनाया है, जिसमें अनिल कुमार के घर के आंगन में तिलक का कार्यक्रम होना बताया है और अक्षर B से दर्शाये गये स्थान पर घायल को गोली मारना बताया है तथा A वह स्थान दर्शाया है, जहॉ से अभियुक्त द्वारा फायर किया गया था। इस प्रकार साक्ष्य के अवलोकन से घटनास्थल अनिल कुमार पी०डब्लू०–3 का मकान स्थित ग्राम नगला रेउजा थाना वैदपुरा स्थापित हो जाता है।

<u>**घायल को आई चोटें व उनकी प्रकृति**</u>

37. चिकित्सक डा०अमित शाक्य पी०डब्लू०–5 के द्वारा दिनांक 09.02.2020 को रात्रि 12.15 बज घायल श्याम सिंह का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और उसके दाहिने नितम्ब में पीछे की ओर बीचोबीच गोली घुसने का घाव 1 X 0.5 से०मी० का पाया है, जिसके किनारे अन्दर की ओर घुसे हुये थे और ताजा खून बह रहा था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि घायल की चोटें दिनांक 08.02.2020 को रात्रि 10.30 बजे तमंचे या किसी आग्नेयास्त्र से आना सम्भव है ।

38. उपहति आख्या प्रदर्श क–2 में यह अंकित किया गया है कि गोली के बाहर निकलने का कोई घाव नहीं था और चोट की प्रकृति ताजा थी, जो किसी आग्नेयास्त्र से आना सम्भव थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि गोली लगने वाला स्थान कोई मर्मस्थल नहीं था और न ही चोट पर कोई कालिमा या टेटोइंग थी। यह चोट एक मीटर की दूरी से या 50–60 मीटर की दूरी से आ सकती है। चोट के आसपास कोई लालिमा या झुलसन नहीं थी ।

39. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि चिकित्सक डा०अमित शाक्य ने उपहति आख्या प्रदर्श क–2 में समय 12.15 के आगे ए०एम० या पी०एम० अंकित नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सकता कि उसके द्वारा यह चिकित्सीय परीक्षण किस समय किया गया। किन्तु न्यायालय के मत में मुख्य परीक्षा में

डा०अमित शाक्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि घायल का चिकित्सकीय परीक्षण रात्रि 12.15 बजे, अर्थात घटना से लगभग पौने दो घंटे बाद किया गया था ।

40. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि इस मामले में न तो कोई एक्सरे रिपोर्ट है और न पूरक रिपोर्ट है और न ही सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा कराये जाने का कोई प्रमाण ही है, अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि घायल श्याम सिंह को जो चोटें आयीं थी, वह आग्नेयास्त्र से पहुंचायी गयी चोट थी, क्योंकि कोई झुलसन, कालिमा या टेटोइंग चोट के आसपास नहीं पायी गयी है और इस सम्बंध में चिकित्सक डा०अमित शाक्य द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया है कि चूँकि मजरूब ने कोई एक्सरे नहीं नहीं कराया था, इसलिये वह ऐसा कोई निश्चित मत नहीं दे सकते कि यह चोट फायर आर्म्स या किसी अन्य हथियार की है ।

41. इस मामले में चिकित्सक ने परीक्षण के समय श्याम सिंह घायल के गोली घुसने का घाव पाया है और किनारे अन्दर की ओर धंसे हुये पाये हैं, जो यह दर्शित करता है कि घायल श्याम सिंह के जो चोट आयी थी, वह किसी ऐसे प्रोजेक्टाइल से आयी थी, जो शरीर के अन्दर तो गया, किन्तु बाहर नहीं निकला, अन्यथा चोट के किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुये नहीं रहते। 1 x 0.5 से०मी० का घाव यह दर्शित करता है कि जो प्रोजेक्टाइल श्याम सिंह के दाहिने नितम्ब में लगा, वह काफी बेग के साथ फेंका गया होगा। घटनास्थल जो कि गांव है आर वहां पर न तो भारी ट्रैफिक व आवागमन है और न ही कोई इस प्रकार के उद्योग है, जिससे दुर्घटनावश कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया हो। एक ही संभावना इस ओर इंगित करती है कि श्याम सिंह को जिस प्रोजेक्टाइल से चोट आयी, उसे वस्तुतः आग्नेयास्त्र से चलाया गया था।

42. जहॉ तक घायल का एक्सरे न कराने का प्रश्न है, तो इस सम्बंध में साक्ष्य में आया है कि घायल को जिला अस्पताल, इटावा से सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया था और निश्चित रूप से उसकी जो भी चिकित्सीय परिचर्या की गयी होगी, वह उसी अस्पताल में की गयी। इस सम्बंध में विवेचक को चिकित्सीय परिचर्या के दस्तावेज सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान से एकत्रित करना चाहिये था, जो कि उसके द्वारा नहीं किये गये। श्याम सिंह के दाहिने नितम्ब में जो प्रोजेक्टाइल रहा हो, उसकी शल्यक्रिया द्वारा निकालने के पूर्व उसकी स्थिति के ज्ञान के लिये एक्सरे अवश्य ही किया गया होगा, किन्तु यह विवेचक की त्रुटि है और इसका कोई लाभ अभियुक्त प्राप्त नहीं कर सकता ।

43. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अचारा परमवत प्रदीपन बनाम स्टेट आफ**

केरला 2007 (57) ए०सी०सी० 293 के मामले में यह अवधारित किया है कि जहॉ पर विवेचक ने कोई अनियमितता या गलती विवेचना अधिकारी द्वारा की गयी हो, तो वह अभियोजन के मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है और यह अन्य साक्ष्य से देखा जायेगा कि घटना को साबित करने वाला साक्ष्य विश्वसनीय है अथवा नहीं। यही मत माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **किशन पाल उर्फ लाला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दण्ड अपील सं०–1978/2011 निर्णय दि०–06.05.2026, 2026 लीगल ईगल इलाहाबाद** 470 के मामले में अवधारित किया है ।

44. इस प्रकार जो चिकित्सकीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे यह साबित हो जाता है कि घायल श्याम सिंह के दाहिने नितम्ब पर जो चोट थी, वह केवल प्रोजेक्टाइल द्वारा पहुंचायी गयी थी। यह चोट आग्नेयास्त्र की थी अथवा नहीं, इसके लिये अन्य साक्ष्य पर विचार किया जायेगा ।

घटना

45. जैसा कि पहले पाया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य स्थापित है कि दि०–08.02.2020 को ग्राम नगला रेउजा अन्तर्गत थाना वैदपुरा जिला इटावा में रवि उर्फ राघवेन्द्र के तिलकोत्सव कार्यक्रम में वधू पक्ष की ओर से वधू के मौसा प्रेमकिशोर पी०डब्लू०–2, घायल श्याम सिंह व श्याम सिंह का पुत्र नीतेश कुमार तिलक चढ़ाने के लिये वहां पर उपस्थित थे। नीतेश कुमार व श्याम सिंह ग्राम मीरखपुर पुठिया थाना जसवंतनगर के निवासी हैं और वहीं प्रेम किशोर ग्राम नगला केशों थाना जसवंतनगर के निवासी हैं। अतः उनकी ग्राम नगला रेउजा में उपस्थिति केवल रवि का तिलक चढ़ाने के उद्देश्य से थी। नीतेश कुमार पी० डब्लू०–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त उमेश यादव द्वारा हर्ष फायरिंग किया जाना एवं उक्त हर्ष फायरिंग में अपने पिता के पुट्ठे में गोली लगना बताया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि लगुन में लगभग 50–60 लोग उनकी तरफ से हो गये थे और जिनके यहां लगुन थी, उनके यहां भी काफी रिश्तेदार मौजूद थे। मौके पर केवल अभियुक्त के द्वारा ही हर्ष फायरिंग की जा रही थी। उसने अभियुक्त का पता नगला बरी लिखाया है। नगला रेउजा नगला बरी की दूरी करीब डेढ–दो कि०मी० है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा तब दी गयी, जब उसे अभियुक्त के नाम की जानकारी हुई और वह अभियुक्त को पहले से नहीं जानता था और न ही रंजिश थी। इस साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक–08.02.2020 तक उसे किसी भी अभियुक्त

के बारे में कोई जानकारी नही रही हो और न ही वह मौके पर रहा हो।

46. इस प्रकार इस साक्षी नीतेश कुमार पी०डब्लू०–1 के कथनों से यह तो स्पष्ट है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित था और उसने अभियुक्त द्वारा चलायी गयी गोली से अपने पिता को चोट लगते हुये देखा था। केवल इस आधार पर इस साक्षी के साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह साक्षी अभियुक्त उमेश यादव को पहले से नहीं जानता था और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि यदि वधू पक्ष की ओर से कोई तिलकोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है अथवा कोई गैर आमंत्रित व्यक्ति भी उस कार्यक्रम में आ गया है, तो जब तक उसे पहले से नहीं जानता हो, उसके नाम व पता के सम्बंध में जानकारी पूछतांछ से ज्ञात हो सकती है, किन्तु चेहरे से ऐसे व्यक्ति को पहचानना सुलभ होता है। साक्षी नीतेश कुमार से ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि गोली चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा उसके द्वारा नहीं देखा गया था। अतः अभियुक्त की पहचान के सम्बंध में और उसके द्वारा गोली चलाने के सम्बंध में जो साक्ष्य दिया गया है, उस पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। फिर भी चूँकि यह साक्षी घायल श्याम सिंह का सगा पुत्र है, यह उचित होगा कि सम्पुष्टि साक्ष्य का भी परीक्षण कर लिया जाये ।

47. प्रेम किशोर पी०डब्लू०–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा चलायी गयी गोली से श्याम सिंह के पुट्ठे में चोट आना कहा है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि नीतेश उसका सगा भांजा है और श्याम सिंह उसके सगे बहनोई है। लगुन के कार्यक्रम में 200–250 व्यक्तियो की भीड़ थी, उनमें से किसी का नाम वह नहीं बता सकता। बहनोई व भांजे का नाम जानता है। वह अभियुक्त का नाम घटना के पहले नहीं जानता था। उसे जब बताया गया, तब उसे अभियुक्त के नाम की जानकारी हुई थी। जब बहनोई के पुट्ठे में गोली लग गयी थी, तब उसने बहनोई को उठाया था, लेकिन उसके कोई खून नहीं लगा था और न ही उसके हाथों में खून लगा था। वह बहनोई के साथ अस्पताल व थाना नहीं गया था। उसे भांजे ने बताया था कि उमेश की फायर से उसके बहनोई के गोली लगी है। मुख्य परीक्षा में उसने जो हर्ष फायरिंग की बात लिखायी है, वह सही लिखायी है,फिर कहा कि गलत लिखायी गयी थी।

48. इस साक्षी के कथनों से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त उमेश यादव का यह साक्षी पहले से नहीं जानता था, किन्तु घटनास्थल पर वह उपस्थित था और इस साक्षी ने घटना को अपनी आंखों से देखा था। इस साक्षी से भी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि उसने अभियुक्त का चेहरा घटनास्थल पर न देखा हो।

मात्र इस आधार पर कि अभियुक्त का नाम इस साक्षी को बाद में बताया गया, इस साक्षी के कथन घटना व अभियुक्त की पहचान के सम्बंध में अविश्वसनीय नहीं होता जाता है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी वादी मुकदमा नीतेश कुमार पी०डब्लू०–1 के साक्ष्य की पुष्टि की है।

49. अनिल कुमार पी०डब्लू०–3, जो रवि का भाई है। उसने अपने बयान में अपने घर पर कार्यक्रम होने का कथन किया है, किन्तु यह कहा है कि इस कार्यक्रम में न तो उसने अभियुक्त उमेश यादव को अपने घर में देखा था और न उसने उसे गोली चलाते हुये देखा था। घायल श्याम सिंह को कैसे और कहॉ गोली लगी, उसके विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है ।

50. इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है, जिसमें उसने यह कथन किया है कि श्याम सिंह लड़की वालों की तरफ से आये होगे। उसने कोई फायर की आवाज नहीं सुनी थी। आतिशबाजी चली थी। उसने इस सुझाव से इन्कार किया है कि श्याम सिंह के पुट्ठे में गोली लगी हो और वह जानबूझकर नहीं बता रहा हो। अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि उमेश उसके परिवार का नहीं है और न उसके गांव या मौजा का है। वह आज उसे पहली बार देख रहा है। उसने अपने भाई के प्रोग्राम में उमेश को नहीं बुलाया था और न ही घायल श्याम सिंह को ही अपने घर पर देखा था।

51. मुख्य परीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि उस दिनांक व समय पर वह अपने घर आये अतिथियों का सत्कार कर रहा था और प्रोग्राम में व्यस्त था। न्यायालय के मत में यह साक्षी जानबूझकर घटना के सम्बंध में अनभिज्ञता प्रकट कर रहा है और उसने निश्चित रूप से यह नहीं कहा है कि श्याम सिंह उसके भाई के तिलकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित थे अथवा नहीं। वैसे भी यह साक्षी उस स्थान पर उपस्थित नहीं था, जहॉ पर तिलक चढ़ाया जा रहा था, बल्कि अतिथियों के स्वागत सत्कार में व्यस्त था । अतः स्वाभाविक है कि उसने घटना स्वयं अपनी आंखों से नही देखी हो और यदि अभियुक्त उमेश यादव उसके परिवार द्वारा आमंत्रित हो, तो उसका बचाने के लिये सही साक्ष्य न दे रहा हो। इस प्रकार इस साक्षी के पक्षद्रोही होते हुये भी तिलक का कार्यक्रम उसके घर में होना साबित होता है ।

52. श्याम सिंह पी०डब्ल०–4 घायल साक्षी है और इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अभियुक्त उमेश यादव ने उसे जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, लेकिन वह घूम गया, जो उसके पुट्ठे में लगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जान से मारने की नीयत से गाली चलाने का कोई उल्लेख नहीं है, अपितु हर्ष फायरिंग का

उल्लेख है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि वह उमेश यादव को एक साल पहले से जानता है। इस साक्षी का साक्ष्य दिनांक 30.01.2024 को अंकित किया गया है । जिससे स्पष्ट हो जाता है कि घटना के समय वह अभियुक्त को नहीं जानता था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उमेश की उम्र लगभग 45 वर्ष होगी और उमेश का गांव और उसका गांव अलग–अलग थाना क्षेत्र में है। उसकी उमेश से जमीन जायदाद, नाला परनाला या अन्य किसी मामले में घटना से पहले कोई रंजिश नहीं थी। घटना के बाद वह रंजिश मानने लगा, क्योंकि उसे गोली लगी थी। गोली उसे पीछे से लगी थी। उसे नहीं मालूम कि उसके लड़के को उमेश के नाम की जानकारी कैसे हुई। घटना के वक्त वह खड़ा था। उमेश उससे 6–7 फीट की दूरी पर थे। उमेश ने जो फायर किया, वह उसने अपनी आंखों से देखा था । इस साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उमेश द्वारा फायर किया जाना उसने अपनी आंखों से देखा हो। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि इस घटना के सम्बंध में पुलिस ने न तो उससे पूछतांछ की और न उसका बयान लिया।

53. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवेचक ने केस डायरी के पर्चा सं0–8 में दि0–17.05.2020 को साक्षी श्याम सिंह का बयान अंकित किया है। विवेचक कामता प्रसाद गौतम पी०डब्लू०–7 ने केस डायरी के पर्चा सं0–6 दि0–14.05.2020 में यह भी अंकित किया है कि उसके द्वारा साक्षियों को वास्ते कथन तलाश किया गया, जो लॉक डाउन में घर से बाहर हैं तथा मजरूब के डाक्टरी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पी०जी०आई०सफई में कोविड 19 कोरोना का वार्ड बनाने पर मजरूब की शेष मेडीकल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। विवेचक ने दिनांक 17.05.2020 को लॉक डाउन के दौरान ही आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया है। यह सुस्थापित विधि है कि केस डायरी के कथन साक्ष्य नहीं होते हैं, बल्कि केवल सम्पुष्टि व विरोधाभास के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं। यदि विवेचक कामता प्रसाद पी०डब्लू०–7 ने घायल श्याम सिंह का बयान नहीं लिखा, तो यह उसके द्वारा विवेचना में की गयी त्रुटि है, जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव स्वमेव अभियोजन कथानक पर तब तक नहीं पड़ेगा, जब तक कि अन्य साक्ष्य के द्वारा भी घटना साबित न होती हो। अतः यदि विवेचक द्वारा घायल साक्षी श्याम सिंह के बयान नहीं लिखे गये हो, तो इसका कोई प्रभाव अभियोजन कथानक पर नही है।

54. घायल साक्षी श्याम सिंह पी०डब्लू०–4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उमेश को लग्नोत्सव में उपस्थित लोगों ने मौके पर पकड़ लिया

था और तुरन्त पुलिस मौके पर आ गयी थी। जब कि प्रेम किशोर पी०डब्लू०–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि उमेश को मौके पर नहीं पकड़ा था। न्यायालय के मत में इस साक्षी के पुट्ठे पर गोली लगी थी और स्वाभाविक है कि वह बदहवास हो गया होगा और उमेश को पकड़ा गया अथवा नहीं, इस सम्बंध में इस साक्षी के कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उमेश को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो यह दर्शित करता है कि उसे मौके से नहीं पकड़ा गया था।

55. इस साक्षी ने रात्रि 10.15 बजे अस्पताल पहुंचना बताया, जब कि घटना 10.30 बजे की है और इस साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह अस्पताल रात्रि 10.15 बजे न पहुंचकर 12.15 बजे रात्रि पहुंचा हो।

55. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना के बाद होशोहवाश में था, किन्तु कितना सचेत था, यह नहीं कहा जा सकता। गोली लगे हुये साक्षी को होश में रहने पर भी समय के सम्बंध में भ्रम हो सकता है और इस कारण इस साक्षी द्वारा अस्पताल 10.15 बजे पहुंचना बताया है, तो इससे इस साक्षी का कथन अविश्वसनीय नहीं होता है, जब कि मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा घटना का समय 10.30 बजे रात्रि ही बताया है। इस साक्षी से भी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि गोली मारने वाले व्यक्ति का चेहरा इस साक्षी ने नहीं देखा था। अतः अभियुक्त उमेश यादव की पहचान, उसके द्वारा गोली चलाये जाने का तथ्य इस घायल साक्षी के साक्ष्य से भी स्थापित हुआ है। घायल साक्षी के साक्ष्य को एक उच्च स्तर का साक्ष्य माना जाता है और जब तक कि कोई ठोस आधार न हो, ऐसे साक्षी के साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जरनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2009(6) सुप्रीम 526** के मामले में अवधारित किया है। इसी प्रकार का मत माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मकसूदन बनाम स्टेट आफ यू०पी० (1983) 1 एस०सी०सी० 218** के मामले में भी अवधारित किया है।

57. वर्तमान मामले में भी प्रतिपरीक्षा से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है कि यह साक्षी जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसको वह पहले से नहीं जानता था।

58. अभिलेख पर उपलब्ध जी०डी० सं०–21 दि0–09.02.2020 समय 12.38 बजे में अभियुक्त उमेश यादव से पूछतांछ करने का उल्लेख किया गया है, जिसमें उसने यह कहा है कि दिनांक 08.02.2020 का रात्रि में ग्राम रेउजा में अनिल कुमार के घर लगुन तिलक समारोह चल रहा था, जिसमें उसका भी निमंत्रण

था और वह भी गया था, तभी खुशी का पल होने के कारण उसने अपने पास मौजूद तमंचा से फायर किया, जो धोखे से श्याम सिंह नाम के व्यक्ति के कूल्हे पर जा लगा। वह मौके से अपने घर जाने लगा, तभी रास्ते में ग्राम नगला वरी के पास, नाले के पुल के पास 100 नम्बर पुलिस की गाड़ी मिल गयी। उसने गाड़ी देखकर तमंचा वहीं पुल के पास खोखा निकालकर फेंक दिया तथा 100 नबर पुलिस उसे थाने ले आयी थी। आज वह चलकर तमंचा बरामद करा देगा।

59. उक्त जी०डी० को अभियोजन साक्षी कामता प्रसाद गौतम के द्वारा प्रदर्श क–9 के रूप में साबति किया गया है, किन्तु 100 नम्बर पुलिस के वाहन में उपस्थित किसी ऐसे पुलिस कर्मी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे यह पुष्टि होती हो कि नगला वरी के पास, नाला के पुल के पास अभियुक्त को पकड़ा गया हो। इस प्रकार अभियुक्त को कब गिरफ्तार किया गया, इसका कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है।

60. इस प्रकार अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है, उससे सन्देह से परे यह साबित हो जाता है कि दिनांक–08.02.2020 को रात्रि 10.30 बजे ग्राम नगला रेउजा, अन्तर्गत थाना वैदपुरा जनपद इटावा में रवि के तिलकोत्सव के कार्यक्रम में अभियुक्त उमेश यादव के द्वारा आग्नेयास्त्र से चलायी गयी गोली से श्याम सिंह के चोटें आयीं।

61. बचाव साक्ष्य में अभियुक्त की ओर से रमेश चन्द्र निवासी ग्राम नगला रेउजा को डी०डब्लू०–1 के रूप में एवं राघवेन्द्र उर्फ रवि, जिसका तिलकोत्सव था, उसे डी०डब्लू०–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

62. रमेश चन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में मात्र यह कहा है कि लगुन के कार्यक्रम में जब तक वह रहा, तब तक कोई हर्ष फायरिग नहीं हुई थी और न ही उसकी जानकारी में किसी श्याम सिंह के पुट्ठे में गोली लगी थी और उसने हाजिर अदालत उमेश को नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दूसरे दिन सुबह उसे यह जानकारी नहीं हुई थी कि फायरिंग हुई थी, किसी के गोली लगी थी। किसके गोली लगी, उसका नाम उसे नहीं मालूम ।

63. न्यायालय के मत में चूँकि यह साक्षी लगुन के कार्यक्रम समाप्त होने तक घटनास्थल पर नहीं रहा था और जब तक वह वहां रहा, तब तक यदि कोई घटना नहीं हुई, तो इससे यह तथ्य साबित नहीं होता है कि इस साक्षी के घटनास्थल से जाने के उपरांत घटना न हुई हो। अतः इस साक्षी का साक्ष्य बचाव पक्ष के लिये महत्वहीन है।

64. राघवेन्द्र उर्फ रवि डी०डब्लू०–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि उसका उपनाम रवि है। दिनांक–08.02.2020 को रात्रि 10.30 बजे अपनी लगुन चढ़ाई जा रही थी। उस समय उसके कार्यक्रम में कोई हर्ष फायरिंग नहीं हुई और न ही उसकी जानकारी में श्याम सिंह पुत्र जगतराम के पुट्ठे में कोई गोली लगी थी। उसने इस कार्यक्रम में हाजिर अदालत उमेश को न तो न्यौता दिया था और न ही उसका उससे कोई व्यवहार है और न उसने उमेश को अपने कार्यक्रम में देखा था। उसने श्याम सिंह के पुट्ठे में गोली लगने वाली बात को नहीं सुना था।

65. अभियोजन के द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि उसकी शादी में जिन–जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था, वह उसकी जानकारी में है। कुछ कार्ड उसके चाचा ने बांटे थे। उसे जानकारी नहीं है कि उसकी लगुन के दौरान किसी को गोली लगी थी या नहीं। लड़की वालों की तरफ से कौन–कौन आया था, उसे जानकारी नहीं है। सह अभियुक्त उमेश यादव को नहीं जानता है।

66. न्यायालय के मत में इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कर दिया है कि उसकी जानकारी में नहीं है कि उसके तिलकोत्सव में किसी व्यक्ति को गोली लगी थी अथवा नहीं। स्वाभाविक रूप से इस साक्षी का स्वयं तिलकोत्सव था और वह तिलक चढ़ाते समय वर के लिये आरक्षित आसन पर बैठा होगा और उसका सारा ध्यान मात्र उन व्यक्तियों पर होगा, जो वास्तविक रूप से तिलक चढ़ाने में व्यस्त रहे होंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा न देखा जाना स्वाभाविक है। इस साक्षी ने स्वयं उमेश यादव को आमंत्रित नहीं किया होगा, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने उसे आमंत्रित न किया हो। न्यायालय के मत में यह साक्षी भी वस्तुतः अभियुक्त उमेश यादव को बचाने के लिये सत्य कथन नहीं कर रहा है और उसके कथन का कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

67. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा है कि यदि किसी समारोह में प्रसन्नता होने के कारण गोली चलायी गयी हो, जो किसी व्यक्ति को लगी हो और ऐसी चोट नहीं आयी है, जो गम्भीर हो और न ही मर्मस्थल पर हो, तो धारा–307 भा०दं०संहिता का अपराध नहीं बनेगा, बल्कि अधिक से अधिक धारा–326 भा०दं०संहिता का अपराध बनेगा ।

68. न्यायालय के मत में ऐसे आग्नेयास्त्र के द्वारा गोली चलायी गयी है, जो किसी भी व्यक्ति के प्राण ले सकती है, स्वयं यह प्रमाणित करता है कि अभियुक्त को यह ज्ञान था कि जिस आग्नेयास्त्र से गोली चला रहा है, वह किसी भी व्यक्ति के लिये घातक हो सकती है । इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त

उमेश यादव को उसके द्वारा किये जा रहे कार्य का ज्ञान नहीं था । इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम शमशेर सिंह ए०आई०आर० 2025 एस०सी० 2180** के मामले में यह स्पष्ट कहा है कि आग्नेयास्त्र से गोली चलाना और गोली जांघ में लगने से गम्भीर चोट का न आना स्वयं में यह आधार नहीं होता कि धारा–326 का अपराध किया गया है, बल्कि ए०के० 47 के द्वारा गोलियां चलाया जाना धारा–302 भा०दं०संहिता के प्रावधान को आकृष्ट करता है, यदि किसी व्यक्ति को कोई उपहति कारित हुई हो और अभियुक्त का आशय व ज्ञान इस प्रकार का हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हो सकती है । ऐसी उपहति का गम्भीर अथवा प्राणघातक होना आवश्यक नहीं है, अतः भले ही गोली चलाते समय अभियुक्त का आशय कुछ भी रहा हो । वर्तमान मामले में अभियुक्त उमेश यादव को यह ज्ञान था कि आग्नेयास्त्र की गोली इस प्रकार चलाने से किसी व्यक्ति के लग सकती है, धारा–307 भा०दं०संहिता के अपराध को गठित करता है ।

69. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन युक्तियुक्त सन्देह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक–08.02.2020 को समय लगभग 10.30 बजे रात्रि में अभियुक्त उमेश यादव पुत्र धीरी सिंह के द्वारा जान से मारने के उद्देश्य से श्याम सिंह पुत्र जगतराम को ग्राम रेउजा अन्तर्गत थाना वैदपुरा जिला इटावा में गोली मारकर घायल किया गया। अतः यह अवधार्य प्रश्न तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

70. निस्तारण अवधार्य प्रश्न सं०–2 क्या दिनांक 09.02.2020 को समय 12.45 बजे के उपरांत अभियुक्त उमेश यादव की निशानदेही पर ग्राम नगला बनी तथा नगला रेउजा के बीच स्थित गंदा नाला के पुल के पश्चिमी किनारे स्थित झाड़ीयुक्त गड्ढा से एक तमंचा बरामद हुआ, जिसको रखने की अनुज्ञप्ति अभियुक्त उमेश यादव के पास नहीं थी ।

निरीक्षक कामता प्रसाद गौतम पी०डब्लू०–7 ने अपनी मुख्य परीक्षा में मात्र यह कहा है कि अभियुक्त उमेश यादव ने घटना कारित किये जाने का अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसने रास्ते में नगला बरी के पास नाला के पुल के पास पुलिस की गाड़ी देखकर तमंचा वहीं पर झाडियों में फेंक दिया गया था । चूँकि अभियुक्त उमेश यादव द्वारा निरीक्षक के समक्ष अपराध स्वीकार किया गया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार कामता प्रसाद पी०डब्लू०–7 ने अपनी सम्पूर्ण पृच्छा में दर्शित नहीं किया है कि किन परिस्थितियों में, कब और कहॉ पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया ।

71. उपनिरीक्षक रामवीर पी०डब्लू०–8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि दि0–09.02.2020 को अभियुक्त उमेश यादव से पूछतांछ करने के बाद उसको साथ लेकर वे गंदा नाला पुल के पास आये और अभियुक्त ने उसी पुल के पश्चिमी किनारे स्थित झाड़ीयुक्त गड्ढे से घटना में प्रयुक्त तमंचा .315 बोर निकलाकर दिया और उसी तमंचे के द्वारा अभियुक्त ने घटना कारित करना बताया था । साक्षी रामवीर पी०डब्लू०–8 के द्वारा तमंचे की फर्द को प्रदर्श क–13 के रूप में साबित किया गया है व तमंचे को वस्तु प्रदर्श–2 के रूप में साबित किया गया है ।

72. यद्यपि अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बंध में काई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अवधार्य प्रश्न सं0–1 को निर्णीत करते समय यह पाया गया है कि रोजनामचा आम सं0–21 दि0–09.02.2020 समय 12.38, जिसे प्रदर्श क–9 रूप में निरीक्षक कामता प्रसाद पी०डब्लू०–7 के द्वारा साबित किया गया है, के अनुसार 100 नम्बर की पुलिस गाड़ी अभियुक्त उमेश यादव को थाना लेकर आयी थी और उसे हवालात मर्दाना में बन्द कर दिया था और वहां उससे पूछतांछ की गयी थी । फर्द बरामदगी प्रदर्श क–13 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त पुलिस बल को ग्राम नगला बरी तथा नगला रेउजा के बीच स्थित गंदा नाला के पुल पर लेकर आया और पुल के पश्चिमी किनारे स्थित झाड़ीयुक्त गड्ढा में झाड़ी हटाकर एक अदद तमंचा देशी .315 बोर निकाल कर दिया । इस फर्द बरामदगी पर उप निरीक्षक रामवीर ने अपने हस्ताक्षर बनाये और साक्षी के रूप में संतोष कुमार के हस्ताक्षर हैं । दो स्थानों पर निशानी अंगूठा लगा हुआ है और यह नोट भी अंकित किया गया है कि फर्द बरामदगी की एक प्रति अभियुक्त को मौके पर दी गयी तथा उसके अलामात बनवाये गये ।

73. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा है कि जब निशानी अंगूठा प्राप्त कर यह अंकित नहीं किया गया है कि यह किस व्यक्ति के हैं, तो अभियुक्त का नहीं माना जा सकता है । किन्तु इस सम्बंध में उपनिरीक्षक रामवीर पी०डब्लू०–8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट बयान दिया है कि फर्द पर अभियुक्त के अलामात बनवाये गये, अर्थात निशानी अंगूठा लगवाया गया । मात्र इस आधार पर कि निशानी अंगूठा के ऊपर अभियुक्त का नाम नहीं लिखा गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि यह निशानी अंगूठा अभियुक्त के नहीं हैं ।

74. इसके अतिरिक्त अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०संहिता में अभियुक्त उमेश यादव ने बरामदगी के सम्बंध में मात्र यह कहा है कि फर्जी कारगुजारी की गयी है और यह स्पष्ट रूप से इन्कार नहीं किया है कि फर्द बरामदगी

पर उसके निशानी अंगूठा नहीं हैं ।

75. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जफरुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ केरला ए०आई०आर० 2022 एस०सी० 3627** के मामले में यह अवधारित किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–27 इसी अधिनियम की धारा–240 का अपवाद है और यह धारा कहीं भी यह प्रावधान नहीं करती है कि पुलिस अधिकारी को सूचना प्राप्त करने के उपरांत कोई पंचनामा बनाना चाहिये और दो स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर करना चाहिये । वस्तुतः यह न्यायाधीशों द्वारा बनायी गयी प्रक्रिया है, जो सावधानी के नियम के लिये प्रयुक्त की जाती है । एक पुलिस अधिकारी अपने सेवाकाल में अनेकों विवेचना करता है और मानवीय रूप से उसके लिये प्रत्येक विवेचना के तथ्य व परिस्थितियों को याद रखना असम्भव है और इसी कारण से पुलिस अधिकारी सावधानी के नियम का पालन करते हुये फर्द बरामदगी बनाते हैं । चूंकि ऐसी बरामदगी दं०प्र०संहिता की धारा–100 से 165 के अन्तर्गत नहीं होती है, तो ऐसी दशा में स्थानीय स्वतंत्र एवं सम्माननीय साक्षियों की आवश्यकता नहीं होती है ।

76. इस प्रकार यद्यपि बरामदगी के सम्बंध में केवल एक ही साक्षी को परीक्षित किया गया है, किन्तु उसके साक्ष्य का विवेचन करने पर यह प्रकट होता है कि उसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई भी तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि उसके द्वारा दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी हो । यह सही है कि बरामदगी ऐसे स्थल से की गयी है, जो सार्वजनिक मार्ग के पास झाड़ियांयुक्त गड्ढा है, किन्तु जैसा कि रोजनामचाआम प्रदर्श क–9 के अवलोकन से प्रकट होता है कि जब अभियुक्त घटनास्थल से वापस आ रहा था, तब 100 नम्बर पुलिस का वाहन देखकर उसके द्वारा उस गड्ढे में तमंचा व खोखा कारतूस फेंक दिया गया था । इस प्रकार अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों में तमंचे को इस प्रकार छिपाया जाना अस्वाभाविक नहीं है ।

77. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गिरजा प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ एम०पी० ए०आई०आर० 2007 एस०सी० 3106, करनजीत सिंह बनाम देहली एडमिनिस्ट्रेशन 2003 (46) ए०सी०सी० 876 एस०सी०** के मामले में यह अवधारित किया है कि ऐसा कोई नियम नही है कि पुलिस साक्षियों का साक्ष्य, सम्पुष्टि के अभाव में विश्वसनीय नहीं होता है। **बलजीत कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ए०आई०आर० 1977 ए०सी० 472** के मामले में यह अवधारित किया है कि जहॉ पर अभियुक्त की निशानदही पर हथियार बरामद किया गया हो और फर्द बरामदगी को पुलिस अधिकारियों व स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो और

स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया गया हो, तो भी पुलिस साक्षियों के साक्ष्य को बरामदगी के सम्बंध में अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, यदि बरामदगी साबित हुई हो ।

78. इस प्रकार वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि यद्यपि अभियुक्त को कब, कहॉ और किन परिस्थितियों में मुख्य मामले में गिरफ्तार किया गया है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, तथापि जब उससे पूछतांछ की गयी, तो वह पुलिस अभिरक्षा में था । पुलिस अभिरक्षा का तात्पर्य केवल गिरफ्तार होने के उपरांत पुलिस अभिरक्षा से नहीं है, बल्कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पुलिस का नियंत्रण है, तो उसको पुलिस अभिरक्षा में ही माना जायेगा । इस प्रकार धारा–27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान अभियुक्त उमेश यादव के द्वारा दी गयी सूचना पर लागू होते हैं, जिसके द्वारा उसने यह बताया था कि घटना में प्रयुक्त तमंचा उसके द्वारा कहां फेंका गया है। बरामदगी को उपनिरीक्षक रामवीर पी०डब्लू०–8 के द्वारा साबित किया गया है और इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द बरामदगी प्रदर्श क–13 के आधार पर पंजीकृत करायी गयी है, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–5 को साक्षी मांजीत प्रसाद पी०डब्लू०–6 के द्वारा साबित किया गया है और उसकी कायमी रोजनामचाआम को भी इस साक्षी ने प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है, जिससे यह प्रकट होता है कि फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–09.02.2020 को समय 14.14 बजे पंजीकृत की गयी थी । इस मामले की विवेचना मुख्य मामले के विवेचक निरीक्षक कामता प्रसाद गौतम पी०डब्लू०–7 के द्वारा की गयी है और उसके द्वारा बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–10 तैयार किया गया है । विवेचक कामता प्रसाद गौतम के द्वारा अभियोजन स्वीकृति तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री जे०बी०सिंह से प्राप्त की गयी है, जिसे प्रदर्श क–11 के रुप में साबित किया गया है और विवेचना के उपरांत आरोपपत्र लगाया गया है, जिसे प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया गया है ।

79. इस प्रकार अभियोजन सन्देहसे परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 09.02.2020 को समय 12.45 बजे के उपरांत अभियुक्त उमेश यादव की निशानदेही पर ग्राम नगला बरी तथा नगला रेउजा के बीच स्थित गंदा नाला के पुल के पश्चिमी किनारे स्थित झाड़ीयुक्त गड्डा से एक तमंचा बरामद हुआ, जिसको रखने की अनुज्ञप्ति अभियुक्त उमेश यादव के पास नहीं थी ।

80. जहॉ तक अभियुक्त से बरामद तमंचे का घटना में प्रयोग करने का प्रश्न है, तो इस मामले में विवेचक के द्वारा न तो घायल श्याम सिंह के कूल्हे से निकाली गयी

बुलेट को अपने कब्जे में लिया गया है और न ही अभियुक्त से बरामद तमंचे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला बुलेट के साथ भेजा गया है, जिसके अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि इसी तमंचे का प्रयोग अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने में किया गया था । इस प्रकार धारा–27 आयुध अधिनियम का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं होता है और धारा–3/25 आयुध अधिनियम का आरोप ही अभियुक्त के विरुद्ध साबित होता है ।

81. तदनुसार अवधार्य प्रश्न सं0–2 निर्णीत किया जाता है ।

आदेश

अभियुक्त उमेश यादव को धारा–27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

अभियुक्त उमेश यादव को धारा–307 भा०दं०संहिता एवं धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त उमेश यादव वर्तमान दोनों मामलों में जमानत हैं। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। उसके बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली दण्ड की मात्रा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु कुछ देर बाद प्रस्तुत हो।

(रजत सिंह जैन)
सत्र न्यायाधीश,
इटावा।

दिनांक–15.07.2026

<u>पत्रावली पुनः प्रस्तुत</u>

पत्रावली पुनः प्रस्तुत हुई। सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री शिव कुमार एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव तिवारी उपस्थित हैं। उन्हें सजा के प्रश्न पर सुना गया।

अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा आग्नेयास्त्र से गोली चलाकर वादी नीतेश कुमार के पिता श्याम सिंह को गम्भीर चोट पहुंचायी गयी है । अतः उनके द्वारा अभियुक्त को अधिकतम दण्ड दिये जाने की मॉग की गयी है ।

बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त की उम्र मात्र 30 वर्ष है। उसके पिता नहीं है। बृद्ध माता हैं, जिनका इलाज चलता है और उनकी देखभाल का दायित्व भी उसके ऊपर है और उसके जेल जाने की स्थिति में उसकी मॉ का भरण–पोषण हो पाना सम्भव नहीं होगा। इन तथ्यों को दृष्टगत रखते हुये अभियुक्त को न्यूनतम सजा से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है ।

अतः दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों तथा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के मत में, इस मामले में यद्यपि आग्नेयास्त्र से गोली चलाने के कारण धारा–307 भा०दं०संहिता का अपराध पाया गया है, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त को यद्यपि यह ज्ञान था कि आग्नेयास्त्र से चली गोली किसी व्यक्ति के जीवन के लिये घातक हो सकती है । तथापि भले ही उसका आशय तिलकोत्सव में अपनी प्रसन्नता रहा हो, परन्तु आग्नेयास्त्र पर नियंत्रण न होने अथवा अन्य किसी कारण से उसके द्वारा चलायी गयी गोली से घायल श्याम सिंह के चोट आयी है और उसके पुट्ठे पर गोली लगी है, जो मर्मस्थल नहीं है और न ही चोट गम्भीर प्रकृति की थी। अभियुक्त के ऊपर उसकी बृद्ध मॉ की देखभाल का दायित्व है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इन परिस्थितियों में अभियुक्त उमेश यादव को धारा–307 भा०दं०संहिता के अपराध के आरोप में 03 वर्ष 06 माह के साधारण कारावास एवं रु0–10,000/– (दस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से एवं अभियुक्त उमेश यादव को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप में 02 (दो) वर्ष के साधारण कारावास एवं रु0–5,000/– (पॉच हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय की मंशा पूर्ण हो जायेगी।

कुल अर्थदण्ड में से आधी धनराशि प्रस्तुत मामले की घटना के घायल श्याम सिंह पी०डब्लू०–4 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त उमेश यादव को धारा–27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त उमेश यादव को धारा–307 भा०दं०संहिता एवं धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त उमेश यादव को धारा–307 भा०दं०संहिता के अन्तर्गत 03 वर्ष 06 माह के साधारण कारावास एवं रू० 10,000/– (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त उमेश यादव को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं रु0–5,000/– (पॅाच हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 05 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

कुल अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि घायल श्याम सिंह पी०डब्लू०–4 को क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी व शेष धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी ।

अभियुक्त को दी गयी दोनों सजायें साथ–साथ चलेंगी तथा प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को इस सजा में समायोजित किया जायेगा।

इस केस के प्रदर्श तथा वस्तु प्रदर्श एक वर्ष तक संरक्षित किये जाये तथा उनका निस्तारण एक वर्ष की अवधि के उपरांत अथवा अपील दाखिल होने की स्थिति में उनका निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जायेगा।

अभियुक्त का सजायावी वारण्ट तैयार कर जिला कारागार अविलम्ब प्रेषित किया जाये।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये। निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण सं०–1412/2022 राज्य बनाम उमेश यादव की पत्रावली पर रखी जाये।

(रजत सिंह जैन)
दिनांक–15.07.2026
सत्र न्यायाधीश,
इटावा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(रजत सिंह जैन)
सत्र न्यायाधीश,
इटावा।

दिनांक–15.07.2026

संलग्नक–1

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण की सूची

क्र०सं०	नाम साक्षी	अभियोजन साक्षी सं०
1	नीलेश कुमार	पी०डब्लू०–1
2	प्रेम किशोर	पी०डब्लू०–2
3	अनिल कुमार	पी०डब्लू०–3
4	श्याम सिंह	पी०डब्लू०–4
5	डा०अमित शाक्य	पी०डब्लू०–5
6	उपनिरीक्षक मांजीत प्रसाद	पी०डब्लू०–6
7	निरीक्षक कामता प्रसाद	पी०डब्लू०–7
8	उपनिरीक्षक रामवीर	पी०डब्लू०–8

(रजत सिंह जैन)
दि०–15.07.2026 सत्र न्यायाधीश,
इटावा।

<u>संलग्नक–2</u>

अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कराये गये प्रदर्शों की सूची

क्र०सं०	अभिलेख	प्रदर्श संख्या
1	वादी नीतेश कुमार द्वारा प्रस्तुत तहरीर दि0–09.02.2020	प्रदर्श क–1,
2	घायल श्याम सिंह की उपहति आख्या	प्रदर्श क–2,
3	मु०अ०सं०–11/2020 धारा–307 भा०दं०संहिता से सम्बंधित चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–3,
4	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–4
5	मु०अ०सं०–12/2020 अन्तर्गत धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम से सम्बंधित चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–5
6	मु०अ०सं०–12/2020 अन्तर्गत धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम से सम्बंधित कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–6
7	मु०अ०सं०–11/2020 धारा–307 भा०दं०संहिता से सम्बंधित नक्शा नजरी	प्रदर्श क–7
8	मु०अ०सं०–11/2020 धारा–307 भा०दं०संहिता से सम्बंधित आरोपपत्र	प्रदर्श क–8
9	अभियुक्त की गिरफ्तारी से सम्बंधित जी०डी० दि0–09.02.2020	प्रदर्श क–9
10	मु०अ०सं०–12/2020 धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम से सम्बंधित नक्शा नजरी	प्रदर्श क–10
11	मु०अ०सं०–12/2020 धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श क–11
12	मु०अ०सं०–12/2020 धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श क–12
13	मु०अ०सं०–12/2020 धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम से सम्बंधित फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–13

(रजत सिंह जैन)

दि०–15.07.2026

सत्र न्यायाधीश,

इटावा।

<u>संलग्नक–3</u>

अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कराये गये वस्तु प्रदर्शों की सूची

क्र० सं०	**नाम वस्तु**	**वस्तु प्रदर्श सं०**
1	माल सील किये जाने से सम्बंधित कपड़ा	वस्तु प्रदर्श – 1
2	तमंचा	वस्तु प्रदर्श–2

(रजत सिंह जैन)
दि०–15.07.2026 सत्र न्यायाधीश,
इटावा।